मु.नं.–11 / 2020 ता.रजु–12.03.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बृजेश चंद व्यास पुत्र श्री बाबूलाल व्यास निवासी वरपाडा, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–24.03.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर श्री रामसिंह मीणा, जिला रसद अधिकारी करौली के विरुद्ध दिनांक 15.04.2014 से आवेदन दिनांक तक प्राप्त कुल शिकायत पत्र, उन पर हुई कार्यवाही आदि कुल तीन बिन्दूओं की सूचना चाही गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोण्डेण्ट के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 214 दिनांक 19.03.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 8(1)(J) के तहत देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रकाशन का व्यापक लोकहित में होना, अपीलार्थी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था।
6. अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरीश रामचंद्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न की गई है जिसके पैरा नं. 3 में अंकित है कि "we are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show-cause notices and orders of censure/punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those respects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, appropriate

orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.'' आयकर विवरणी से संबंधित अंकन पैरा 14 में किया गया है।

7. आवेदक द्वारा चाही गई सूचना को दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के कोई व्यक्तिगत हित निहित होने से प्रत्यर्थी द्वारा इन्कार किया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ही अपीलार्थी के आवेदन का विनिश्चय किया जाना एवं विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित किया जाना बतया है जो अपीलार्थी द्वारा अपील में स्वीकार किया गया है।
8. अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में उनके विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है। अपीलोत्तर की प्रति भी अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
9. अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
10. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
13. निर्णय आज दिनांक 24.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:21:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: